

भाग-3 मूल अधिकार (अनु. 12-35)

मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाते हैं। मूल अधिकार को मैगनाकारा कहते हैं। इसे U.S.A के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद 12 - मूल अधिकार की परिभाषा

अनुच्छेद 13 - यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। (माल्पीकरण)

* **समता / समानता का अधिकार [अनु. 14-18]**

अनुच्छेद 14 → विधी के समक्ष समानता अर्थात् कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था विद्वेन से ली गई है। जब कि कानून के समान संरक्षण कि व्यवस्था अमेरिका से ली गई है।

अनुच्छेद 15 → जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर सर्वजनिक स्थान (सरकारी स्थान) पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 16 → लोक निर्वाचन [सरकारी नौकरी की समानता] इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है।

अनुच्छेद 14 - अस्पृश्यता [हुआ हुआ का अन्त]

अनुच्छेद 18 - अपाधियों का अंत (किन्तु शिक्षा सुखा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादी रख सकते हैं) विदेशी अपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ी है।

स्वतंत्रता का अधिकार [अनु. 19-22]

- अनुच्छेद 19 → (i) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता
अपना लहरे, पुतला जलाने R.I तथा प्रेस की स्वतंत्रता
(ii) विना छवियार समा करने की स्वतंत्रता
(iii) संगठन बनाने की स्वतंत्रता
(iv) विना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता
(v) भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता
(vi) सम्पत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। बल्कि कानूनी अधिकार हो गया।
* सम्पत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया।
(vii) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20 - इसमें तीन प्रकार के स्वतंत्रता दी गई हैं।

(i) एक गलती कि एक सजा

(ii) सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जायेगी न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर

(iii) सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है।

Note → अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायक दोषी करार नहीं कर देती हैं तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता।

अनुच्छेद 21 → इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसी के कारण अधिक धुमा देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चलाय नहीं है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोड़ दिया गया है। सब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई डबाकर नहीं कर सका।

Note → अनुच्छेद 20 तथा 21 को अपातकाल के दौरान नहीं रोक जा सका। अतः इसे सबसे अधिकगाली मुल अधिकार कहते हैं।

अनुच्छेद 21(क) इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86 वां संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।

गिरफ्तारी से संरक्षण (रक्षा) करती हैं।

- (i) व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट (कारण) बनाया होता है।
- (ii) 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सह-शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय भी मिला जाता है।
- (iii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है।

* निवारक विरोध अधिनियम (Preventive Detention)

→ इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के IV में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये अधिकतम तीन महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है।

* नजरबंद → किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कही है। नजरबंद होकर आवास या जेल कहीं भी हो सकता है।

* भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम

- (i) निवारक विरोध अधिनियम 1950 → यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम था 31 Dec 1971 में इसे निरस्त कर दिया गया।

(ii) **MISA** (Maintenance of Internal Security Act) - इसे 1971 में लाया गया किन्तु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(iii) **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)** → इसे 1980 में लाया गया यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है।

(iv) **TADA** (Terrorist and Disruptive Activities) → इसे 1985 में लाया गया आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 May 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया।

(v) **POTA** (Prevention of Terrorism Act) → यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया।

* शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनु. 23-24]

अनुच्छेद 23 → बालाश्रम (जबदस्ती श्रम) तथा कैदीश्रम (बिना वेतन) पर रोक लगाया गया। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालाश्रम या कैदीश्रम कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 24 → 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वतन्त्र काम में नहीं लगाया जा सकता।

* धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [अनु. 25-28]

अनुच्छेद 25 → अंतःकरण की चर्चा मर््यात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण (स्नान) मुस्लिमों को दारी, हिन्दुओं को टिकी रखने का सर्वस्व है।

अनुच्छेद 26 → इसमें सामुहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है।

अनुच्छेद 27 → धार्मिक कार्य के लिए खाद्य धन पर टैक्स नहीं लगाया।

अनुच्छेद 28 → सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Remark → संस्कृत एक भाषा है। न कि हिन्दू धर्म कि धार्मिक शिक्षा इसी इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है। न कि इस्लाम धर्म कि शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है।

*** संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार [अनु 29-30] अल्पसंख्यक**

अनुच्छेद 29 → [अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण] →

इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।

अनुच्छेद 30 → [अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण]

अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद कि संस्था खोल सकते हैं। सरकार इसे भी धन देगी।

अनुच्छेद 31 → इसमें पैरक सम्पत्ति कि चर्चा की गई है। और मूल अधिकार या किन्तु 44 वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300क में जोड़ दिया गया।

Remark → अनुच्छेद 19(1) में अर्जित सम्पत्ति की चर्चा है। जब कि 31 में पैरक सम्पत्ति की चर्चा है।
(ii) मूल अधिकार को हम सँ सरकार या जनता कोई नहीं छीन सका जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छिन सकती किन्तु सरकार छिन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

* **अनुच्छेद 32** → संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सिधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पाँच प्रकार के रिट/थाचिका या समादेश जारी करती है।

बन्दी	पति	परमेश्वर	उसका	अधिकार
↓	↓	↓	↓	↓
बन्दी प्रत्यक्षीकरण	प्रतिशोध	परमादेश	उत्प्रेषण	अधिकार प्रिच्छा

* **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कॉर्पस)** → यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बन्दी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भितर सह-शरीर न्यालय में प्रस्तुत करे।

* **परमादेश (मैन्डैमस)** → इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहायी कर्मचारी अर्द्ध से काम नहीं करता है तो इसपर यह जारी किया जाता है।

* **अधिकार प्रच्छा (कोर्वैरेन्टो)** → जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रच्छा आता है।

→ **अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय अपात)** के दौरान केवल 20 मॉर श हि ऐसा अनुच्छेद है जिसे वैध नहीं किया जा सकता।

* **प्रतिषेध (prohibition)** → यह उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

* **उत्प्रेषण (Certiorari)** → यह भी उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

नोट → सम्बेदक ने अनु. 32 को संविधान कि भाग कहा था।

नोट → किस भाग को संविधान की भाग कहते हैं - प्रस्तावना

नोट → ये पांच प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 33 → राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मिडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है।

अनुच्छेद 34 → भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून (Martial law) लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायलय को ~~Court~~ Court Martial कहते हैं। सबसे कठोर Martial law AFSPA है। (Armed Forces Special Power Act)

अनुच्छेद 35 :- भाग-3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विषयी कि-चर्चा।

* मूल अधिकार को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। किन्तु वर्तमान में 6 श्रेणीया हैं।

श्रेणी

अनुच्छेद

1. समानता का अधिकार → [14-18]
2. स्वतंत्रता का अधिकार → [19-22]
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार → [23-24]
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार → [25-28]
5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार → [29-30]
6. सम्पत्ति का अधिकार → 31 X
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार → 32

Note → अनुच्छेद 14, [20, 21, 21A], [23, 24], [25-28] - भारतीय
तथा विदेशीयों दोनों के लिए।

- * अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है।
- * हजमाल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं हैं क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है।
- * स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं हैं।
- * वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं।
- * मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं।
- * मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है।
मूल अधिकार का रक $\frac{SC}{32}$ तथा $\frac{MC}{226}$ को कहते हैं।